11/5/17

निगम में पुलिस बुलाने पर पार्षद बिफरे

निगम के विकास भवन में गुरुवार को दोपहर पुलिस द्वारा पार्षदों को रोकने पर बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता सहित मिट्टी तेल गली के नोटिसशुदा बेजाकब्जाधारी मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। ज्ञापन लेने अपर कमिश्नर पहुंचे, तो उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि आयुक्त को ज्ञापन लेने के लिए यहीं बुलाएं। इधर कमिश्नर इन सब से अप्रभावित बैठकों में व्यस्त रहे। नाराज कांग्रेसियों ने मंत्री, मेयर सहित आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोन प्रभारी कमिश्नर ने बीच बचाव कर पार्षदों को आयुक्त से उनके कार्यालय में मिल कर बात करने कहा, तो वह अड़ गए। कहा कि प्रभावितों के साथ इकट्ठे मिलेंगे। मजबूरन सभी लोगों को ऊपर बुलाना पड़ा। पहुंचते ही पार्षदों ने आयुक्त से पुलिस बुलाने के मुद्दे पर चढ़ाई कर दी। उग्र विवाद के दौरान आयुक्त को बोलते सुना गया कि हां मैंने पुलिस बुलाई। यह विधानसभा नहीं है। कांग्रेस पार्षदों को कहना था कि वह निगम के ट्रस्टी हैं, उन्हें यहां आने से कौन रोक सकता है? करीब 10 मिनट के वाक् युद्ध के बाद बातचीत का रुख नरम हुआ।

मिट्टी तेल गली की जगह 80 फुट की रोड बनाने के लिए निगम ने 135 लोगों को नोटिस दिया है, जो नजूल की जमीन पर बेजा कब्जे में मकान बना कर रह रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद से बेजा कब्जाधारी लगातार दबाव बनाए हुए हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री सहित आयुक्त तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। 4 दिन में मिट्टी तेल गली के लोग दूसरी बार निगम पहुंचे। इधर डस्टबिन खरीदी के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाते हुए पिछले हफ्ते युवक कांग्रेसियों के मीटिंग हाल में घुसकर हल्ला मचाने की घटना से खार खाए आयुक्त ने पहले ही पुलिस बुलवा लिया था।

निगम में पुलिस बुलाने पर पार्षद बिफरे

कांग्रेस ने प्रभावितों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन, लगाए भेदभाव के आरोप

आयुक्त ने बताया वर्षों पूर्व बिलासपुर मुंगेली रेलवे लाइन के लिए आवंटित नजूल भूमि, जो इमलीपारा से लिंक रोड, सिंधी कालोनी, मिट्टी तेल गली, नर्मदा नगर होते हुए मिनोचा कालोनी उस्लापुर रोड तक है, की जमीन पर बाई पास रोड बनाई जाएगी। इसके लिए 4 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मौके पर जगह नहीं होने पर कांग्रेसियों ने मौजूदा 40 फुट की रोड को यथास्थिति रखने की मांग की। बेजा कब्जाधारियों को हटाने का विरोध करने पर आयुक्त ने कहा कि सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। पार्षदों ने कहा कि सकरी के लोगों को मकान दिया, पर वहां पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। नोटिस रुकवाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद दीपांशु श्रीवास्तव,जुगल किशोर गोयल, शिवा मिश्रा, अभयनाराण राय, महेश दुबे आदि शामिल थे।

नगर निगम आयुक्त को घेरने पहुंचे कांग्रेस पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। नाराज कांग्रेसी धरने पर बैठ गए।

आयुक्त को घेरने पहुंचे पार्षद, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बोलर के बीच मतैक्य नहीं था। रामा बघेल जैसे ही आयुक्त कक्ष में घुसे प्यून ने उन्हें रोक दिया, वहीं से विवाद शुरू हुआ। बुलाकर अपमानित करने का आरोप लगाते उसने आयुक्त को आड़े हाथों लिया। इसके बाद पंचराम सूर्यवंशी ने मोर्चा खोल दिया। समय लेने के बाद पुलिस बुलाने पर तीव्र आपत्ति की। बात में इतनी तल्खी आ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगलिया दिखाने लगे। आयुक्त ने पिछली घटना के चलते पुलिस बुलाने की बात कही, परंतु भविष्य में पार्षदों को नहीं रोकने आश्वस्त किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शेख नजीरुद्दीन दोनों पार्षदों को रोकते नजर आए। शहर अध्यक्ष ने मिट्टी तेल गली के एक ओर के लोगों को ही नोटिस देने पर आपत्ति की।

बेजा कब्जाधारिशहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 2 करोड़ के बहुचर्चित डस्टबिन खरीदी के मामले में वर्क ऑर्डर जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
डस्टबिन का वर्क ऑर्डर जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

9/5/2017 डस्टबिन का वर्क ऑर्डर जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए डस्टबिन खरीदी करने का निर्णय लेते हुए 20 जनवरी 2017 को टेंडर जारी किया। इसके तहत अहमदाबाद की घनश्याम इंजीनियरिंग और नीलकमल प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर भरा। निगम ने नीलकमल का टेंडर इस आधार पर खारिज कर दिया कि कंपनी के बैलेंस शीट को चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर के बगैर जमा किया गया है। कंपनी ने इसका विरोध करते हुए बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट से हस्ताक्षर कराया जाना जरूरी नहीं है। इसके बाद 20 फरवरी 2017को दोबारा इसके लिए टेंडर जारी किया गया। इस बार भी दोनों कंपनियों ने टेंडर भरा। नगर निगम ने घनश्याम इंजीनियरिंग के पक्ष में टेंडर मंजूर किया। नीलकमल कंपनी ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति जताई कि टेंडर की शर्तों के अनुसार दस्तावेज नोटराइज करवाने थे, घनश्याम इंजीनियरिंग ने इसका पालन नहीं किया है। इस पर नगर निगम द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने पर नीलकमल प्राइवेट लिमिटेड ने अधिवक्ता सुनील ओटवानी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई गुरुवार को चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच में हुई।

डस्टबिन खरीदी कोलेकर

मेयर सहित परिषद कटघरे में

डस्टबिन खरीदी के टेंडर में अनियमितता को लेकर मेयर किशोर राय और उनकी एमआईसी शुरू से ही कांग्रेस के निशाने पर रही। यह भी संयोग ही है कि मेयर, सभापति और एमआईसी मेंबर डस्टबिन सप्लाई करने वाली कंपनी के हैदराबाद स्थित वर्कशाप तक पहुंच गए थे। आयुक्त सौमिलरंजन चौबे ने बताया कि आपत्तिकर्ता के ही हस्ताक्षर करने के बाद टेंडर की दरें खोली गई। **यों को पक्के मकान देने का वादा**

5/5/2017 मेयर की मौजूदगी में बृहस्पति बाजार रोड का काम शुरू कराया गया।

ढाई साल तक गड्ढे और धूल से अटी बृहस्पति बाजार की सड़क का आखिरकार बुधवार को डामरीकरण शुरू किया गया। यह सड़क मेन पोस्ट अॉफिस तक बनाई जाएगी। इस पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डामरीकरण के नाम पर आज देवकीनंदन चौक से शहीद चौक तक की सड़क आवागमन के बंद कर दी गई। सीवेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह सड़क जर्जर हो चुकी थी।

सिंप्लेक्स ने इस सड़क को अलग अलग कामों के लिए 3-3 बार खोदा। पहले पाइप लाइन, मेनहोल फिर प्रापर्टी चैंबर बनाने के लिए। महापौर किशोर राय ने बृहस्पति बाजार से देवकीनंदन चौक तक 1 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कराया। उन्होंने बारिश पूर्व 15 सड़कों के डामरीकरण कराने का दावा किया है। सड़कों का निर्माण कार्य ड्रेन-टू-ड्रेन किया जाएगा। डामरीकरण में असुविधा होने पर किनारे कांक्रीटीकरण कराया जाएगा। सब्जी मंडी की व्यस्ततम रोड होने के कारण डामरीकरण का कार्य रात में कराया जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद अंजनी कश्यप, पूर्व पार्षद राजेश सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद बबलू कश्यप, पंकज श्रीवास्तव, रमेश लालवानी, सहदेव कश्यप, पार्षद गणेश रजक, पार्षद संजय गुप्ता आदि उपस्थित थे।

2/5/2017

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे फ्लाई ओवर लालखदान बिलासपुर से उसलापुर तक बनेगा। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि बिलासपुर जोनल मुख्यालय बनने के बाद जंक्शन प्लेटफार्म में ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही तथा यात्रियों की सुविधा के लिए यह योजना 11 साल पहले स्वीकृत की गई थी, परंतु भूमि उपलब्ध नहीं होने कारण इसे निरस्त कर दिया गया। रेलवे बोर्ड की हालिया रिव्यू मीटिंग के बाद ठप पड़ी इस योजना की फाइल फिर से मूवमेंट में आ गई। रेलवे ने इसे स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है और पुराने प्रस्ताव को निरस्त कर इसके लिए नए सिर से अलाइनमेंट सर्वे का काम शुरू किया है।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाडियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने 10.40 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा था। 2005-06 के बजट में इसे शामिल करते हुए रेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की और 35.81 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके बाद रेलवे ने रेलवे विकास निगम लिमिटेड को इसके सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा। आरवीएनएल ने पहले अलाइनमेंट का सर्वे किया और उसके बाद उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 17.285 हेक्टेयर

जमीन की आवश्यकता बताई गई। इस अलाइनमेंट में 15.71 हेक्टेयर जमीन निजी और 1.175 हेक्टेयर जमीन सरकारी आ रही थी। प्रस्ताव तैयार करने के बाद रेलवे प्रशासन ने 12 जनवरी 2009 को निजी और सरकारी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया।

रिव्यू कर शुरू कराया नया सर्वे

आरवीएनएल ने जब इस प्रोजेक्ट से हाथ खड़े कर दिए तो रेलवे महाप्रबंधक ने कंपनी के साथ रिव्यू मीटिंग 2015 में की और इसे अपने हाथ में लेकर नए सिरे से अलाइनमेंट के लिए सर्वे शुरू कराया। सर्वे का काम जारी है। यह जुलाई 2017 में पूरा हो जाएगा।

स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल

बिलासपुर रेलवे जोन के इस मेगा प्रोजेक्ट को भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया है। इसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में 15 फरवरी 2016 को किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के मार्ग की अब सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं।

देश में और भी हैं फ्लाई ओवर

देशभर में महानगरों के अलावा अन्य हिस्सों में रेलवे फ्लाई ओवर हैं। इनसे कम जगह पर यात्री ट्रेनों के आवागमन में आसानी होती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सहित अन्य इलाकों में बड़े-बड़े फ्लाई ओवर बने हैं। इनमें से ज्यादातर मैट्रो रेल के फ्लाई ओवर हैं।

100 से अधिक मालगाड़ियां गुजरती हैं

बिलासपुर जोनल हेड क्वार्टर होने के साथ-साथ चारों ओर से कोयला खदानों से घिरा हुआ है। कोल ट्रांसपोर्टिंग के साथ-साथ आयरन ओर और सीमेंट की ट्रांसपोर्टिंग भी इस क्षेत्र से है। इसलिए प्रतिदिन 100 से अधिक मालगाडिय़ां बिलासपुर जोन मुख्यालय से अप एवं डाउन दिशा में चलती हैं। आने वाले समय में इन ट्रेनों का दबाव और बढ़ेगा। इसलिए फ्लाई ओवर बन जाने से मालगाड़ियां बिना रुके सीधे गंतव्य को रवाना हो जाएंगी। इससे यात्री ट्रेनों को पासिंग देने के लिए आउटर पर खड़ा नहीं करना पड़ेगा।

प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई

जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए जमीन की एवज में 1.3 करोड़ रुपए भी 19 जुलाई 2009 को भू-अर्जन अधिकारी के पास जमा कराए गए। जिला प्रशासन की ओर से दो साल तक जमीन अधिग्रहण के संबंध में अवार्ड पारित नहीं किया गया। नतीजतन 10 सितंबर 2012 को यह प्रोजेक्ट लैप्स हो गया। उक्त परियोजना में एक निजी स्कूल की जमीन आ रही थी। स्कूल प्रबंधन अपनी जमीन नहीं देना चाह रहा था। इसलिए जोन को विकास की गति देने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट से रेलवे को हाथ खींचना पड़ा।

नया सर्वे का काम जुलाई तक पूरा होगा

बिलासपुर-उसलापुर रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के लिए पूर्व में बना प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। अब नए सिरे से अलाइनमेंट का सर्वे चल रहा है। यह काम जुलाई 2017 में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि नया ब्रिज कहां से और कैसे बनाया जाए।

कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण से आजाद हुआ चेतन तालाब, 10 घर तोड़े

1/5/2017

हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर 3 घरों पर नहीं हुई कार्रवाई

न्यायालय के आदेश पर सोमवार को की गई कार्रवाई से 10 परिवार प्रभावित हुए हैं। यहां कुल 13 परिवार हैं लेकिन 3 परिवार के मकानों को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल जाने से 10 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई हो पाई। वहीं तालाब मालिक द्वारिका प्रसाद गुप्ता, भरतलाल, रामकुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि निस्तार पत्रक में यह तालाब उनके स्वामित्व दर्शा रहा है जिसका सार्वजनिक प्रायोजन होता था। उनके जमीन से उन्हें ही बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। इस आधार पर न्यायालय से उन्हें स्थगन प्रदान किया गया है। कोर्ट के निर्देश पर इन तीन मकानों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।

कार्रवाई कर 10 घरों और कालोनी के गेट को हटाया

कार्रवाई की जानकारी देते हुए अतिरिक्त तहसीलदार अमित सिन्हा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सोमवार को की गई है। कार्रवाई के दौरान 10 घर और कालोनी के गेट का अतिक्रमण हटाया गया है। चकरभाठा थाना प्रभारी राजेश श्रीवास्तव, सकरी चौकी प्रभारी जलील खान, एएसआई एसके त्रिपाठी, उसलापुर पटवारी दिलशाद अहमद, सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं राजस्व अमले की मौजूदगी में चेतन तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। पहले कुछ महिलाओं ने कार्यवाही का विरोध किया लेकिन महिला बल होने के कारण महिलाओं को वहां से हटाया गया।

हाईकोेर्ट के आदेश के बाद सोमवार को चेतन तालाब पर बेजा कब्जा किए गए घरों को तोड़ता प्रशासनिक अमला।

तालाब में हुए बेजा कब्जा के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई थी जनहित में याचिका

भास्कर संवाददाता|सकरी

सोमवार को बिलासपुर-मुगेली मुख्य मार्ग पर उसलापुर में चेतन तालाब के पास प्रशासन ने बेजा-कब्जा कर बने हुए घर और कालोनी के गेट को हटाया। ये कार्यवाही जनहित याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर किया गया।

बिलासपुर-मुगेली रोड उसलापुर में बने कालोनी के पास बनिया तालाब है। यहां कई लोगों ने बेजा कब्जा कर झोपड़ी और मकान बना लिया गया था। अमेरी निवासी राजेश निर्मलकर ने तालाब पर बेजा-कब्जा करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी और न्यायालय से इसे हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह ही तालाब के पास से अतिक्रमण हटाने प्रशासन को निर्देशित किया गया था इस बीच तालाब मालिक द्वारिका प्रसाद गुप्ता ने कुछ जमीन के लिए हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने पर स्टे की मांग की गई थी।

मामले में पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने द्वारिका प्रसाद गुप्ता को स्टे दे दिया। स्टे आदेश मिलने के बाद कुछ ही जमीन पर स्टे होने की बात साफ होने के बाद सोमवार को पुलिस बल के साथ बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। कब्जा हटाने पहुंचे अमले को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिला पुलिस के बल प्रयोग करने पर विरोध शांत हो गया।